रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 598] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 9, 2019/आश्विन 17, 1941
No. 598] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2019/ASVINA 17, 1941

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि. 766(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार **हिमाचल प्रदेश** सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2019 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016, अनुसूची-II में,-

(क) तालिका में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों से संबंधित भाग-क में, प्रथम कॉलम में आने वाली "**हिमाचल प्रदेश**" प्रविष्टि तथा दूसरे कॉलम में आने वाली तद्नुरूपी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:

"हिमाचल प्रदेश

मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
अपर मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
वित्तीय आयुक्त (अपील)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
वित्तीय आयुक्त सह-प्रधान-सचिव (राजस्व)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15

प्रधान आवास आयुक्त, नई दिल्ली	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
मंडलायुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सरकार के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव (लोकायुक्त)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्य निर्वाचन अधिकारी-सह-सचिव (चयन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
निदेशक, उद्योग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पंजीयक, सहकारी समितियां	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
निदेशक, पर्यटन और नागर विमानन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
निदेशक, सतर्कता	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
राज्यपाल के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

(ख) वेतन के अपर विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पदों से संबंधित भाग ख में, तालिका में हिमाचल प्रदेश के अधीन आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा,-

"सरकार के विशेष सचिव / अपर सचिव / संयुक्त सचिव
सचिव, लोक सेवा आयोग
निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले
निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायती राज
श्रम आयुक्त-सह-निदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण
निदेशक, परिवहन
बंदोबस्त अधिकारी
उपायुक्त
आयुक्त, विभागीय पूछताछ
अपर उपायुक्त
अपर निदेशक, उद्योग
निदेशक, भूमि रिकोर्डस
निदेशक, शहरी विकास
निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी
निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग सशक्तिकरण
निदेशक, ऊर्जा
निदेशक, महिला और बाल विकास विभाग
निदेशक, नगर और देश योजना
निदेशक, सार्वजनिक वित्त और सार्वजनिक उपक्रम
निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान
निदेशक, आयुर्वेद
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बद्दी बारोतीवाला नालागढ विकास प्राधिकरण, बद्दी"

[फा. सं.11031/04/2017-अ.भा.से.-II(ख)]

ज्योत्स्ना गुप्त, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान नियम, तारीख 08 सितम्बर, 2016 की सा.का.नि.सं. 870(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित सा.का.नि. संख्या तथा तारीख को संशोधित किए गएः-

क्रम सं.	सा.का.नि.सं.	दिनांक
1.	1062 (अ)	10.11.2016
2.	1178(अ)	27.12.2016
3.	1194(अ)	30.12.2016
4.	575(अ)	12.06.2017
5.	1382(अ)	10.11.2017
6.	1429(अ)	17.11.2017
7.	1585(अ)	22.12.2017
8.	566(अ)	15.06.2018
9.	819(अ)	28.08.2018
10.	1124(अ)	16.11.2018
11.	1222(अ)	19.12.2018
12.	218(अ)	13.03.2019

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2019

G.S.R. 766 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of **Himachal Pradesh** hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Second Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, in Schedule II,–

(a) in Part A relating to Posts carrying pay above the Senior Scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the table, for the entry "Himachal Pradesh" occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

"Himachal Pradesh

Chief Secretary	Level 17 in the pay matrix
Additional Chief Secretary	Level 17 in the pay matrix
Principal Secretary	Level 15 in the pay matrix
Financial Commissioner (Appeals)	Level 15 in the pay matrix
Finance Commissioner cum-Principal Secretary (Revenue)	Level 15 in the pay matrix
Principal Resident Commissioner, New Delhi	Level 15 in the pay matrix
Divisional Commissioners	Level 14 in the pay matrix
Secretary to Government	Level 14 in the pay matrix
Secretary (Lokayukta)	Level 14 in the pay matrix
Chief Electoral Officer-cum-Secretary (Election)	Level 14 in the pay matrix
Director of Industries	Level 14 in the pay matrix
Excise & Taxation Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Registrar, Co-operative Societies	Level 14 in the pay matrix
Director of Tourism & Civil Aviation	Level 14 in the pay matrix
Director of Vigilance	Level 14 in the pay matrix
Secretary to Governor	Level 14 in the pay matrix

(b) in Part B relating to Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying Special Allowance in addition to pay, in the table for the entries occurring under Himachal Pradesh the following shall be substituted,–

“Special Secretary/Additional Secretary/ Joint Secretary to the Government
Secretary, Public Service Commission
Director, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
Director Rural Development & Panchayati Raj
Labour Commissioner-cum-Director Employment & Trg.
Director, Transport
Settlement Officers
Deputy Commissioners
Commissioner, Departmental Enquiries
Additional Deputy Commissioners
Additional Director of Industries
Director of Land Records
Director of Urban Development
Director, Information Technology
Director, Empowerment of Scheduled Castes, Other Backward Classes, Minorities & the Specially Abled
Director, Energy
Director, Women & Child Dev. Dept.
Director, Town & Country Planning
Director, Public Finance & Public Enterprises
Director, H. P. Institute of Public Administration
Director, Ayurveda
Chief Executive Officer, Baddi Barotiwala Nalagarh Development Authority, Baddi ”

[F. No. 11031/04/2017-AIS-II(B)]

JYOTSNA GUPTA, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 870(E) dated the 08th September, 2016 and subsequently amended by the following G.S.R. No. and date:-

Sl. No.	**G.S.R. No.**	**Date**
1.	1062 (E)	10.11.2016
2.	1178(E)	27.12.2016
3.	1194(E)	30.12.2016
4.	575(E)	12.06.2017
5.	1382(E)	10.11.2017
6.	1429(E)	17.11.2017
7.	1585(E)	22.12.2017
8.	566(E)	15.06.2018
9.	819(E)	28.08.2018
10.	1124(E)	16.11.2018
11.	1222(E)	19.12.2018
12.	218(E)	13.03.2019

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.10.10 22:41:52 +05'30'